



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi - 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फा.सं.111-A-33/16/01/MACP-DPC/DentalGroup/2023/Admn.II दिनांक:07-03-2025

कार्यालय आदेश संख्या 67 वर्ष 2025 प्रशासन-2

विभागीय स्क्रीनिंग समिति की वित्तीय उन्नयन की बैठक दिनांक **21/02/2025** की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के आगे लिखित तिथि एवं वेतन लेवल में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने का अनुमोदन दिया है:-

S. No	Name (Sh./Smt./Km.) & Employee ID	Cadre	Place of Posting	Date of Appointment	Present Pay Scale (7th CPC)	Applicable and effective date for Financial Upgradation under MACP Scheme
1	Arjun Yadav (164363)	Dental Chair Side Assistant	ESIC Dental College, Rohini	10/03/2011	Level-02	1 st MACP Granted w.e.f. 10/03/2021 in Level-03
2	Shanker Singh Negi (159109)	Dental Chair Side Assistant	ESIC Dental College, Rohini	14/03/2011	Level-02	1 st MACP Granted w.e.f. 14/03/2021 in Level-03
3	Prabhat Kumar (165443)	Dental Chair Side Assistant	ESIC Dental College, Rohini	03/07/2014	Level-02	1 st MACP Granted w.e.f. 03/07/2024 in Level-03

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत वित्तीय उन्नयन उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है और उनकी वरिष्ठता की स्थिति के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारी के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय

उन्नयन नहीं होगा, कि ग्रेड में कानेष्ठ कर्मचारियों को ए०सी०पी०/ संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत अधिक वेतन मिला है। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत अनुमत वित्तीय हितलाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई नियतन हितलाभ नहीं मिलेगा, अर्थात् उच्चतर ग्रेड में कार्यात्मक पद हेतु तैनाती।

उपर्युक्त पदाधिकारी इस आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (1) (ए) (i) के तहत गणना के रूप में वेतन नियतन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

हालांकि, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत वित्तीय उन्नयन, भारत सरकार, डीओपीटी, का.ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी), दिनांक 19.05.2009 और फा.सं. 35034/3/2015-स्था. (डी), दिनांक 27/28-09-2016 के साथ-साथ मामले में समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण/अनुदेश के तहत गणना किए गए निबंधन और शर्तों के अधीन होगा।

नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे, कि संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिकाओं में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबंधित प्रविष्टियां की जाएं और वेतन नियतन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए।

(राजशेखर सिंह)

उप-निदेशक (प्रशासन-2)

प्रतिलिपि:

- 1) संबंधित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
- 2) अधिष्ठाता, क.रा.बी.नि. अस्पताल डेंटल कॉलेज, दिल्ली।
- 3) रोकड़ शाखा/ लेखा शाखा, क.रा.बी.नि. अस्पताल रोहिणी, दिल्ली।
- 4) डी०पी०सी०-II शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।
- 5) आई.टी. सेल निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ आई.टी. सेल क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने के आग्रह के साथ।
- 6) गार्ड फाइल।